श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2016 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 11.08.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि/सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

2.1 अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की पिछली बैठकों में निर्देश दिया जाता रहा है कि बरसात से पूर्व शनिचरा में निर्माणाधीन आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य हर हालत में पूर्ण कर लिया जाय।

बैठक में उपस्थित पुल निर्माण निगम के अभियंता द्वारा बताया गया कि Water Level के ऊपर तक का कार्य पूर्ण हो गया है एवं नाला के अवरूद्ध बहाव को खोल दिया जाएगा।

2.2 पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित पथों के सौंदर्यीकरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी पथ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी गयी है।

इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा कंकड़बाग रोड, गायत्री मंदिर रोड, अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेलिंग कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसमें अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेलिंग कार्य की निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

<u>मुख्य अभियंता, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि पथों के सौंदर्यीकरण के संबंध में पथ निर्माण विभाग से प्राप्त डी०पी०आर० को संचिका में एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित करेंगे</u>।

2.3 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांसों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Urban Road Policy का प्रारूप तैयार करके पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी है।

बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उन्हें किसी कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं है। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाय। बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में अगली बैठक में प्रगति से अवगत कराएंगे।

2.4 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित डम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाइ की जाय। बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में अगली बैठक में प्रगति से अवगत कराएंगे।

2.5 फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों के प्रबंधन एवं इसके अन्य उपयोग हेतु नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास एवं आवास विभाग को एक सप्ताह के अंदर भेजी जाय।

2.6 महावीर मंदिर, पटना जंक्शन से जी०पी०ओ० गोलम्बर एवं महावीर मंदिर से वीणा सिनेमा रोड में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता द्वारा पाईलिंग का कार्य किये जाने के दौरान पटना नगर निगम के भूमिगत नाले को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण सम्पूर्ण पटना जंक्शन जलमग्न स्थिति में है।

पिछली बैठक में जानकारी प्राप्त हुई थी कि पुल निर्माण निगम द्वारा 02 अदद मैनहोल का निर्माण किया गया है। बैठक में उपस्थित पटना नगर निगम के अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे स्थल निरीक्षण करके मरम्मति कार्य की प्रगति से 2 दिनों के अंदर अवगत करायेंगे।

2.7 बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता हेतु एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, पटना सिटी क्षेत्र, पुरानी बाईपास, राजेन्द्र नगर आदि पथों का Route Chart तैयार करेंगे।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इन पथों में प्रकाशोत्सव समारोह के पूर्व तक, जहाँ आवश्यक हो, मरम्मती कार्य अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

2.8 बैठक में बांकीपुर अंचल एवं पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गाँधी मैदान से दीदारगंज तक फ्लैंक, रोड एवं क्षतिग्रस्त नाला की मरम्मति कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है।

पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसकी निविदा प्रकाशित कर दी गयी है एवं दिनांक 18.08.2016 को निविदा खोली जाएगी, जिसमें संवेदक को 02 माह के अंदर कार्य पूर्ण करने की समयसीमा निर्धारित की गयी है।

2.9 **NHAI से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)** :-

(क) पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय।

बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि इसके निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। इस संबंध में निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं NHAI को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजा जाय। **श्री रामसेवक सिंह, अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।**

(ख) बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि न्यू बाईपास में महिन्द्रा शो रूम के निकट NHAI द्वारा लगाये गये एल०ई०डी० लाईट खराब हैं।

निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम NHAI के साथ समन्वय करके लाईट को शीघ्र ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

3.1 नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके निकट ही

मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 के निकट नाले के प्रवेश बिन्दु पर अतिक्रमण प्रतिवेदित हुई थी। निर्देश दिया गया कि यदि सामुदायिक भवन या दुकान अतिक्रमण करके बनाया गया है तो अतिक्रमणवाद दायर करके, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

3.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठकों में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि बादशाही नाला को अतिक्रमण मुक्त करके, मॉनसून के पूर्व उड़ाही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

3.3 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले के अतिक्रमण के संबंध में पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है। इसकी सफाई हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

4. <u>ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 ब्रेडा द्वारा शहर के कई पथों पर स्ट्रीट लाईट लगाये गये हैं। पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाईट खराब पड़े हुए हैं और इसके रखरखाव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

पिछली बैठक में ब्रेडा के परियोजना प्रबंधक द्वारा शहर में अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट की सूची उपलब्ध करायी गयी। निर्देश दिया गया कि यह सूची पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को भेज दी जाय।

5. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

5.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित करायी जा रही जलापूर्ति योजनाओं का पूर्ण विवरण एवं प्राक्कलन नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र पूर्व में भेजा गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अपेक्षा है कि जलापूर्ति योजनाओं का प्राक्कलन शीघ्र नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसके आधार पर House to house Connection हेतु राशि उपलब्ध करायी जा सके।

6. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 बुडको द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से Intelligent Traffic Management System एवं CCTV की व्यवस्था की गयी है। बुडको द्वारा पूर्व में 97 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की योजना के विरूद्ध 65 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट की व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ट्रॉफिक लाईट हेतु 65 स्थानों की सूची ही उपलब्ध करायी गयी थी।

निर्देश दिया गया कि यदि अन्य और स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की आवश्यकता हो तो प्रमंडलीय आयुक्त से स्थानों की सूची प्राप्त की जाय। **<u>इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे</u>**।

महाप्रबंधक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि CCTV का कार्य गृह विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है एवं इस हेतु बुडको द्वारा पूर्व में किये गये कार्य से संबंधित सभी Input बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

6.2 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाने हेतु बुडको को निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में पिछली बैठक में महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया था कि इसके लिए डी०पी०आर० बनाने हेतु कंसल्टेंट का चयन किया गया है।

निर्देश दिया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत बनाये जा रहे डी०पी०आर० की जानकारी प्राप्त की जाय और उसके गाईडलाईन को भी देख लें ताकि यथासंभव गाईडलाईन के तहत कार्रवाई हो।

6.3 पिछली बैठक में महाप्रबंधक (टेक्निकल), बुडको द्वारा बताया गया कि पटना जलापूर्ति योजना एवं दानापुर जलापूर्ति योजना का मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख नगर विकास एवं आवास विभाग में भेजा गया है एवं मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का संलेख तैयार किया जा रहा है।

इनके द्वारा बताया गया कि पटना एवं दानापुर जलापूर्ति योजना के संबंध में बुडको से की गयी पृच्छाओं का निराकरण करके जबाव विभाग को भेज दिया गया है। **<u>अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इस संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे</u>**।

6.4 रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट के निर्माण हेतु लैंडफिल साईट के लिए पूर्व में पटना नगर निगम को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी थी। इसे बुडको को हस्तांतरण के संबंध में पटना नगर निगम शीघ्र SEIAA से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करे। साथ ही लैंडफिल साईट के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप बुडको द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

6.5 बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि रेलवे स्टेशन से मल्टीलेवल पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना के संबंध में बुडको तथा रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक हो गयी है। अभी NOC प्राप्त नहीं हुई है। NOC प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

6.6 बुडको के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में पटना सिटी में स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट लाईट लगाने की योजना की निविदा की स्थिति के संबंध में शीघ्र प्रतिवेदित करें।

बैठक में उपस्थित बुडको के अभियंता द्वारा बताया गया कि इसकी निविदा प्रकाशित हो गयी है एवं एक सप्ताह के अंदर कार्य आवंटित कर दी जाएगी।

6.7 बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि बुडको द्वारा निर्माणाधीन एस०पी० वर्मा रोड संप हाऊस से मंदिरी नाला के Outfall drain का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि नाले की कनेक्टिविटी संप हाऊस से कर दी गयी है एवं डीजल पंप से आज कनेक्शन कर दिया जाएगा।

6.8 रामचक बैरिया अवस्थित कूड़ा डम्पिंग यार्ड में लिंक पथ का निर्माण बुडको द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में पिछली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया था कि 50 मीटर पथ का निर्माण पटना नगर निगम द्वारा शीघ्र करा लिया जाएगा एवं उसके बाद के शेष पथों के निर्माण हेतु बुडको के संवेदक "पटना ग्रीन इनर्जी" द्वारा सहमति दी गयी है। इनके द्वारा बताया गया कि लिंक रोड के निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है।

निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको नियमित तौर पर स्थल निरीक्षण/बैठक करके कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक की कार्यवाही संधारित करेंगे एवं संवेदक को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु लिखित रूप से कड़ी चेतावनी दें।

6.9 मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain से संबंधित डी०पी०आर० बुडको द्वारा बनाये जा रहे हैं। सैदपुर नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला का Feasibility Report तैयार हो गया है।

बुडको के अभियंता द्वारा बताया गया कि नाला का डी०पी०आर० बनाने के लिए 3.75 करोड़ की राशि की माँग बुडको के पत्रांक 1402 दिनांक 26.05.2016 द्वारा की गयी है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है।

निर्देश दिया गया कि डी०पी०आर० बनाने के क्रम में नाले की Opening/सफाई के संबंध में भी योजना बना ली जाय एवं सभी 09 नालों का PFR तैयार किया जाय। विभिन्न Options को Explore करते हुए Pros and Cons, Work out किया जाय।

6.10 पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि राज्य के सभी नगर निकायों के मुख्य Outfall drain एवं STP की सूची, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7. <u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे</u> :-

7.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मीठापुर करबिगहिया नाला निर्माण एवं सैदपुर ड्रेनेज के सुदृढ़ीकरण हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग में भेज दिया गया है।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। <u>मुख्य अभियंता, बुडा इसे सुनिश्चित करेंगे</u>।

7.2 मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित हुआ था कि नगर निगम एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजना मिलाकर नगर निगम क्षेत्र में शत–प्रतिशत जलापूर्ति आच्छादित हो रही है, लेकिन सभी घरों में कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

निर्देश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना को पूर्ण होने के उपरांत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा शेष बची योजना को कार्यान्वित किया जाय। इसे AMRUT योजना में आच्छादित करने हेतु संचिका में उपस्थापित किया जाय। <u>अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे</u>।

8. <u>प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से संबंधित मुद्दे</u> :-

8.1 गुरू गोविन्द सिंही जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग हेतु जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पूर्व से चिन्हित पार्किंग स्थल के पीछे लगभग 70 एकड़ भूमि पुनः चिन्हित की गयी है, जो पार्किंग हेतु उपयुक्त है।

<u>**सचिव, पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि पार्किंग स्थल तक सम्पर्क पथ का निर्माण एवं चिन्हित स्थल के समतलीकरण हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। जिला पदाधिकारी, पटना इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएंगे।**</u>

9. <u>पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे</u> :-

9.1 पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित एल०ई०डी० लाईट की Centralised Controling एवं Monitoring के लिए सिस्टम अधिष्ठापित किया जाय ताकि लाईट खराब होने पर उसे तत्काल ठीक कराया जा सके।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में पटना नगर निगम 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करेंगे। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

9.2 श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर उपयोग हेतु मोबाईल टॉयलेट किन–किन नगर निकायों में उपलब्ध है, की जानकारी सभी नगर निकायों से प्राप्त की जाय।

<u>**इस संबंध में श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, पटना नगर निगम के साथ नियमित तौर पर समन्वय करेंगे।**</u>

9.3 प्रकाशोत्सव समारोह के अवसर पर गुरूद्वारा के निकट की गलियों में जगह–जगह पर पेयजल हेतु नल, पिआऊ तथा यूरिनल की व्यवस्था करने का निर्देश नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दिया गया है।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि 100 अस्थायी पियाऊ एवं 25 स्थायी पियाऊ की व्यवस्था की जा रही है तथा स्थायी एवं अस्थायी दोनों तरह के यूरिनल की व्यवस्था की जा रही है।

9.4 पटना शहर में अधिकाँश सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि पटना नगर निगम की ओर 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जाएगी एवं इस हेतु प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।

9.5 निर्देश दिया गया कि अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग ससमय सुनिश्चित किया जाय।

9.6 जलजमाव की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में जो संरचनात्मक कमियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, संयुक्त रूप से विवरण नगर आयुक्त को समर्पित करेंगे। वैसे संरचनात्मक कार्य, जो जरूरी हो, उन्हें नगर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों से तत्काल स्वीकृत किया जाय।

9.7 शहर में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। तदनुसार पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुलवारी शरीफ/दानापुर एवं खगौल को कड़ी मेहनत एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

12/8/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5352 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

12/8/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5352 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/8/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5352 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल

पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यवाही की प्रति NHAI, Patna को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

12/8/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5352 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/8/2016

प्रधान सचिव

RK